UPMA010057222024

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)
ID Code–UP2023
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–386/2024

सुरेन्द्र पासवान–––––––बनाम–––––राजकुमार व अन्य

दिनांकः 03.06.2026

(1) पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी राज्य को पूर्व तिथि को सुना जा चुका है।

(2) आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि परिवाद में दिनांक 12.06.2023 को नकल आदेश की प्रति मिली परन्तु आवेदक/निगरानीकर्ता बीमार पड़ जाने व पारिवारिक परेशानी वश समय से निगरानी दाखिल नहीं कर सका। तबीयत ठीक होने पर निगरानी दाखिल कर रहा है। निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, जो भी विलम्ब हुआ है, वह मजबूरी वश व बीमारी के कारण हुआ है, जो क्षमा योग्य है। उपरोक्त कथन करते हुये विलम्ब को क्षमा कर निगरानीकर्ता को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(3) विपक्षी राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये मौखिक आपत्ति की गयी है और यह कथन किया है कि आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी पूर्णतः रही है, उसके द्वारा जानबूझकर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी राज्य को पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। ऐसी स्थिति में पत्रावली का अवलोकन किया गया है।

(5) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदक/निगरानीकर्ता को धारा 323, 504 भा.दं.सं. में तलब किये जाने का आदेश दिनांक 06.04.2023 को पारित किया गया था तत्पश्चात आवेदक उक्त आदेश की नकल दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त किया परन्तु

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.05 07:56:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक बीमार होने के कारण समय से फौजदारी निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सका था। आवेदक ने उक्त आदेश के विरूद्ध फौजदारी निगरानी दिनांक 21.10.2024 को दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि फौजदारी निगरानी लगभग एक वर्ष छः माह पन्द्रह दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब के संबन्ध में आवेदक द्वारा सशपथ यह कहा गया है कि आवेदक बीमार पड़ जाने व पारिवारिक परेशानी के कारण निगरानी समय से प्रस्तुत नहीं कर सका था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को लचीला रूप अपनाना चाहिये, अत्यंत कठिनाई पूर्वक इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये।

(6) विधि व्यवस्था ओरियन्टल एरोमा केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम गुजरात इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन व अन्य 2010(2) जे सी एल आर (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यद्यपि कि प्रत्येक दिन होने वाली विलम्ब को स्पष्ट करने के लिये कोई निश्चित मापदण्ड का नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि विलम्ब को उपशमित किये जाने हेतु न्यायालयों द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

(7) इस प्रकार आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया है और अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि में निगरानी न दाखिल करने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद था।

(8) उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम परिव्यय पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(9) आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मु० 300/–रु० परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार, पत्रावली फौजदारी निगरानी की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 22.07.2026 को पेश हो। उभय पक्ष नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांकः–03.06.2026

सत्र न्यायाधीश
मऊ